तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम... अहद... हुक्म... में जा...
08/07/22	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के विप्रार्थीगण अनुपस्थित। विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण से बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:06:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 77 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. खुमाराम पुत्र रूपाराम
2. भगवानाराम पुत्र रूपाराम
3. बाबूदेवी पत्नी रूपाराम
   कौम जाट निवासी सोढों की ढाणी (रतनपुरा) तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मानाराम पुत्रजवारा कौम ब्राहमण साकिन खारवा तहसील बागोडा
2. नानजी पुत्र उदाराम
3. केरिया पुत्र लाला
4. कृष्ण पुत्र भारता
   कौम मेगवाल साकिन रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी
5. जोईता पुत्र भावा
6. दला पुत्र पूरा कौम कलबी साकिन सोढों की ढाणी
7. गिरधारी पुत्र सुरता
8. रामाराम पुत्र सुरता
   कौम जाट साकिन सोढों की ढाणी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश खीचड़ की बहस सुनी एवं पत्रावली का [illegible] किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2076–2079 [illegible] 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा सोढों [illegible] 460/3 रकबा 7.3005 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें [illegible] का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर [illegible] मा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:06:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी